बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। अधिसूचना ।।

संoसंo–16 / आरोप–01–17 / 2026 2345 पटना, दिनांक– 22/06/26

श्री कुमार ऋत्विक, (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–10–1987 दिनांक–01.06.2026 द्वारा दिनांक–23.05.2026 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आगमन के अवसर पर किला मैदान, बक्सर में हेलिकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होने के पश्चात् अपर समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता में गठित जाँच टीम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उनके विरूद्ध पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढ़ंग से नहीं करने, लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने एवं **माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक / लापरवाही बरतने** का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के पाये जाने तथा उनका कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल पाये जाने के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) के तहत श्री कुमार ऋत्विक (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए **निलंबित** किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार ऋत्विक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय **नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय** निर्धारित किया जाता है।

5. श्री कुमार ऋत्विक के विरूद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –
(परमानंद पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–16/आरोप–01–17/2026 2345 पटना, दिनांक– 22/06/26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, बक्सर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/ श्री कुमार ऋत्विक, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी (स्थापना) एवं आई०टी०, प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (**विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी (स्थापना), नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुरोध है कि नगर परिषद, बक्सर में किसी कार्यपालक पदाधिकारी को पदस्थापित करने की कृपा की जाय।

Pandey 22.6.26

सरकार के अवर सचिव।